

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

केन्द्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार  
वहरमपुर - 742101, मुर्शिदाबाद जिला, (पश्चिम बंगाल)

Central Sericultural Research & Training Institute

(ISO 9001:2015 Certified)

CENTRAL SILK BOARD Ministry of Textiles, Govt. of India  
Berhampore - 742101, Murshidabad Dist., West Bengal, India



संकेत/केरेउअवप्रमं/हिंदी-3.1/2017-18/12/

दिनांक: 20.06.2020

सेवा में / To,  
संस्थान तथा इसके अधीनस्थ केन्द्र के प्रमुखों व प्रभारी,  
केरेउअवप्रम, वहरमपुर [प.वं.]।

विषय: संस्थान में दिनांक 19 जून, 2020 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 123वीं बैठक की कार्यवृत्त का अग्रपण/  
Forwardal of the Minutes of the 123<sup>rd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on  
19<sup>th</sup> June, 2020.

महोदय/Sir,

कृपया संस्थान में दिनांक 19 जून, 2020 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 123वीं बैठक की कार्यवृत्त इसके साथ संलग्न पाएँ। अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर संबंधित अनुभाग कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ। Please find enclosed herewith minutes of the 123<sup>rd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 19th June, 2020. Concern section may please ensure necessary action on the decisions taken in the meeting under intimation to the undersigned.

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित यदि आपका कोई सुझाव हो तो उसे संस्थान की अगली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए इस कार्यालय को अवश्य भेजें। Suggestion regarding progressive use of Official Language Hindi, if any, may please be sent to this office to incorporate it in the ensuing Official Language Implementation committee meeting.

कृपया इसकी प्राप्ति सूचना दें/Kindly acknowledge the receipt of the same.

संलग्न:यथोपरि

भवदीय/Yours faithfully

श्री शिवप्रसाद 20/06/20

[डॉ. वी. शिवप्रसाद / Dr. V. Sivaprasad]  
निदेशक / Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

वैज्ञानिक-डी / उपनिदेशक [प्रबले] / वैज्ञानिक-सी / वैज्ञानिक-वी / सहायक निदेशक [प्रबले] / प्रभारी:

1. स्थापना / लेखा / भंडार व क्रय / एम.वी.जी / जैव प्रौद्योगिकी / पी.एम.सी.ई / धागाकरण व कताई / एम.वी.जी / विस्तार व प्रचार / प्रशिक्षण / अनुरक्षण व वाहन।
2. उपनिदेशक [कंप्यू.], कंप्यूटर अनुभाग उक्त दस्तावेज को संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. वैज्ञानिक-डी / वैज्ञानिक-सी / क्षेत्रेउअके / अतिके / प्रभारी:  
कोरापूट / कलिम्पोंग / जोरहाट / मोथावाडी / भंडरा  
माँमरिंग / शिलांग / दीमापुर / आईजोल / अगरतला।





केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान  
Central Sericultural Research & Training Institute  
केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार  
CENTRAL SILK BOARD, Ministry of Textiles, Govt. of India  
बहरमपुर/Berhampore - 742101, मुर्शिदाबाद जिला/Murshidabad Dist.  
पश्चिम बंगाल/ West Bengal, भारत/India



दिनांक 19 जून, 2020 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 123वीं बैठक की कार्यवृत्त। Minutes of the 123<sup>rd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee held on 19.06.2020.

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर [प.ब.] की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 123वीं बैठक-सह-अल्पकालिक हिंदी कार्यशाला दिनांक 19 जून, 2020 को संस्थान के निदेशक महोदय, डॉ. वी. शिवप्रसाद की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुलग्नक - "क" में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, विगत कार्यशाला से संबंधित प्रमाण-पत्र भी अधिकारियों को प्रदत्त किया गया।

The 123<sup>rd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of Central Sericultural Research and Training Institute, Berhampore [W.B.] was held on 19.06.2020 under the chairmanship of the Dr. Sivaprasad, Director of this Institute at 3.00 p.m. in the meeting room of the Institute along with a short-term Hindi Workshop for the officials present during the meeting. The list of the members present in the meeting is appended at Annexure-A. Further, certificates of last hindi workshop were also distributed among to the officers.

प्रारंभ में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, अध्यक्ष की अनुमति से संस्थान के सहायक निदेशक [राभा] द्वारा बैठक की कार्यसूची पर मदवार चर्चा प्रारंभ की गई जो निम्नवत है/ At the outset, the Chairman extended warm welcome to all the members present in the meeting. Thereafter, item-wise agenda was taken up for discussion by the Assistant Director (OL) of this Institute which is as given below:

**मद सं/Item No.1: संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 122वीं बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि / Confirmation of minutes of the 122<sup>nd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute.**

समिति को यह संसूचित किया गया कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 122वीं बैठक की कार्यवृत्त तैयार कर सभी सदस्यों के बीच परिचालित कराए गए। परंतु किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को सहर्ष आमंत्रित किया गया कि वे पिछली बैठक पर अपनी टिप्पणी व सुझाव, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यवृत्त को पुष्ट माना गया। It was apprised to the committee that copies of minutes of the 122<sup>nd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of this Institute were circulated among the members but no comments were received. The Chairman, during the course of discussion gladly invited all the members to offer their comments / suggestions, if any, on the minutes of the last meeting. Since, no comments were received from anyone of the members, minutes was treated as confirmed.

**मद सं/Item No.2: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई। Action taken on the decisions made during the last meeting.**

संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ द्विभाषी में किए जाने पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि संस्थान में उपलब्ध सभी सेवा पंजियों में प्रविष्टियाँ तदनुसार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, फार्म, प्रपत्र आदि भी द्विभाषी में तैयार कराकर नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही, धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी करते हुए हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रभागीय प्रमुखों तथा अनुभागीय प्रधानों व प्रभारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने अनुभागों में राजभाषा प्रावधानों एवं केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त तत्संबंधी आदेशों व निदेशों का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन आगे भी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग में कोई भी उल्लंघन न होने पाए।

During the course of discussion upon making entries in all service books either in Hindi or in bilingual form. It was observed that necessary entries are being made in Hindi or bilingual form in the service books available at this institute. Further, full compliance of the Official Language Rule-11 has been ensured by preparing all standard forms, Proforma etc. in bilingual form. In addition to this, letters

received in Hindi are also replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction to all the Divisional Heads/In-charges of the section of this Institute to make every possible effort for due compliance of the provisions of Official Language Hindi following the orders/instructions received from Central office, Central Silk Board, Bangalore, Department of Official Language, Ministry of Home affairs. He also added that special attention may be paid on the fact that there should not be any violation in progressive use of Official Language Policy.

चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित निर्णय अनुपालनार्थ लिए गए / During the course of discussion following decisions were taken by the chairman for compliance:

1. धारा 3(3) के अन्तर्गत विहित सभी कागजातों [सामान्य आदेश, परिपत्र ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न, आदि] को निरुपवाद रूप से मात्र द्विभाषी में ही जारी किया जाए। Documents specified under section 3(3) [General Order, Circular, Memorandum, Resolution, Notification, Rule, Agreement, Contract, tender Notice, Parliamentary Question etc.] may invariably be issued in Bilingual form only.  
[कार्रवाई: सभी अनुभाग/केन्द्र]
2. यह भी निर्णय लिया गया कि अगली बैठक से संस्थान के हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की प्रभागवार समीक्षा की जाए। It was also decided that comparative progress report regarding Hindi correspondence of implementation of this institute should be reviewed division-wise in the ensuing meeting.  
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]
3. संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों द्वारा अपना अधिकाधिक टिप्पण आदि हिंदी व द्विभाषी में लिखा जाए तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में इसकी प्रतिशत नियमित रूप से अवश्य दर्शाया जाए तथा इस प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार नैमिक प्रकृति के टिप्पणियों का हिंदी प्रारूप आदि तैयार कर लिया जाए।  
All sections of this institute may ensure to write their maximum no. noting etc. either in Hindi or in bilingual form and percentage of the same must be reflected in their monthly progress report. Further, it was also added that readymade draft of the routine nature noting etc. may be prepared for the said purpose.  
[कार्रवाई: सभी अनुभाग]
4. संस्थान में रख-रखाव की जा रही सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ अनिवार्यतः हिंदी व द्विभाषी में किया जाए। It must be ensured that entries in all service books being maintained at this Institute are made either in Hindi or in Bilingual form.  
[कार्रवाई: स्थापना/हिंदी अनुभाग]
5. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों के दौरे पर जा रहे वैज्ञानिकों/अधिकारियों व हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी कार्यान्वयन/अनुपालन संबंधी प्रगति की समीक्षा अवश्य की जाए। Scientists/Officers and Hindi Section, visiting the sub-ordinate units of this institute must review the progressive use of Official Language Hindi of the concerned units.  
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग व संबंधित वैज्ञानिक/अधिकारी]
6. संस्थान के सभी अनुभागों द्वारा प्रेषण और डायरी पंजी का रख-रखाव करते हुए जारी / प्राप्त पत्रों के कॉलम में हिंदी/द्विभाषी/अंग्रेजी का उल्लेख अवश्य किया जाए। All the section of this Institute should maintain Dairy and Dispatch register in their sections and must ensure to indicate Hindi/Bilingual/English against the column letter issued/received without fail.  
कार्रवाई: सभी अनुभाग]



7. राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोग व संबंधित विषयों पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक तिमाही के दौरान किया जाए ताकि राजभाषा प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित हो सके। A Hindi Workshop with regard to uses of Official Language Hindi or allied subjects must be organized for the officials during the each and every quarter to ensure due compliance of the provisions of Official Language.  
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]
8. संस्थान के अधीनस्थ केन्द्रों की हिंदी पत्राचार संबंधी तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा आगे भी प्रस्तुत किया जाए। Comparative progress report regarding Hindi correspondence made by the nested Units of this Institute should also be placed for the review in the ensuing meeting.  
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]
9. संस्थान के अधिकारियों/पदधारियों के हिंदी प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर प्वाइंट अद्यतन रखते हुए शेष बचे पदधारियों को प्रशिक्षण हेतु अगले सत्र में नामित किया जाए। To maintain the Up-to-date roster point regarding Hindi Training of the Officers and Staff of this Institute and remaining officials must be nominated for the same during the ensuing session.  
[कार्रवाई: हिंदी अनुभाग]

**मद सं/Item No.3: संस्थान के अनुभागों की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the monthly progress report regarding progressive use of Hindi of this institute:**

संस्थान के विभिन्न अनुभागों की मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सभी अनुभाग द्वारा हिंदी पत्राचार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार करने के अतिरिक्त रबड़ की मुहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट, मानक फार्म व प्रपत्र आदि को द्विभाषी में तैयार कर राजभाषा नीति एवं इसके प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी को इन प्रावधानों के अनुपालन पर सम्यक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सलाह दी गई कि वे अनुभागों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे नैमिक प्रकृति के पत्रादि को द्विभाषी में तैयार करा कर जारी किया जाना सुनिश्चित करें ताकि हिंदी पत्राचार की प्रतिशत में आगे और भी वृद्धि हो सके। During the course of reviewing monthly report of the different sections of this institute, it was observed that all sections are transacting their Hindi correspondence as per the target prescribed by the Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language and letters received in Hindi are replied in Hindi only. In addition to this, full compliance of the Official Language Policy has been ensured by preparing all Rubber Seals, Name-Plate, Notice-Board, and Standard Forms in bilingual form. The Chairman, during the course of discussion laid emphasis on necessity of paying special attention upon due compliance of the said provisions and advised all the sectional Heads/In-charges to get prepared their letters of routine nature in bilingual form so that there can be more enhancement in the percentage of Hindi correspondence.

[कार्रवाई: सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग]

**मद सं/Item No.4: संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा/Review of the quarterly progress report of this institute:**

संस्थान के संबद्ध केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सभी केन्द्रों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम-11 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया कि अधीनस्थ केन्द्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा अनिवार्य तौर पर किया जाए ताकि सभी केन्द्रों में राजभाषा प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। While reviewing quarterly report of the nested units of this institute, it was observed that due compliance of the section 3(3) Rule-11 of the Official Language Act has been ensured at all the sub-ordinate centres. Further, letters received in Hindi are also being replied in Hindi only. The Chairman, during the course of discussion made an instruction that quarterly progress report of each and every nested unit should invariably be reviewed so that fully compliance of the provisions of Official Language may be ensured at all the nested units of the Institute.

[कार्रवाई: सभी अधीनस्थ केन्द्र/हिंदी अनुभाग]

मद सं/Item No.5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय:/Any other subject with the permission of the chairman.

संघ की राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम, 2020-2021 में निहित प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3), नियम-5 सहित संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण प्रश्नावली में उल्लेखित विविध मदों के पूर्णरूपेण कार्यान्वयन पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अनुभागीय प्रधानों/प्रभारियों को अपने-अपने अनुभागों में उक्त प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। The Chairman, while making discussion upon fully implementation of the provisions contained in "Annual Programme-2020-21" for transacting the official work of the union in Hindi, Section 3(3), Rule-5 along with various items mentioned in the questionnaire of Committee of Parliament on Official Language advised to all the sectional Heads/In-charges to take necessary steps to ensure effective compliance of the said provisions in their sections.

[कार्रवाई: सभी संबंधित/हिंदी अनुभाग]

तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गई। / Thereafter, meeting concluded with a vote of thanks to the chairman.

वी. शिवप्रसाद 20/08/20

[डॉ. वी. शिवप्रसाद / Dr. V. Sivaprasad]  
निदेशक / Director

दिनांक 19 जून, 2020 को आयोजित संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 123 वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची/ List of members present in the 123<sup>rd</sup> meeting of the Official Language Implementation Committee of the Institute held on 19<sup>th</sup> June, 2020.

क्र.सं Sl.No.	नाम/Name	पदनाम/Designation	
1.	डॉ. वी. शिवप्रसाद / Dr. V. Sivaprasad	निदेशक / Director	अध्यक्ष/Chairman
2.	डॉ. तमी दत्ता / Dr. T. Dutta	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
3.	डॉ. वी. लक्ष्मणन / Dr. V. Lakshmanan	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
4.	डॉ. गौतम मित्रा / Dr Gautam Mitra	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
5.	डॉ. एस. सरकार / Dr. S. Sarkar	वैज्ञानिक- डी/ Sc.-D	सदस्य/Member
6.	डॉ. के. राहुल / Dr. K Rahul	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
7.	डॉ. वी. विजय / V. Vijay	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
8.	डॉ. के. सुरेश / Dr. K. Suresh	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
9.	डॉ. जी. आर. मंजुनाथ / Dr. G. R. Manjunath	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
10.	डॉ. पूजा मकवाना / Dr. Puja Makwana	वैज्ञानिक- सी/ Sc.-C	सदस्य/Member
11.	श्री आर. वी. चौधरी / Shri R. B. Chaudhary	सहा. निदे. / AD [OL]	आयोजक/Convener
12.	डॉ. ए. पाप्पचन / Dr. A. Pappachan	वैज्ञानिक- B/ Sc.-B	सदस्य/Member
13.	श्री गौतम हलदार / Shri Gautam Haldar	स. अधी. [प्र.] / A. S. [A.]	सदस्य/Member
14.	श्रीमती रजिया सुल्ताना / Smt Rezia Sultana	स. अधी. [प्र.] / A. S. [A.]	सदस्य/Member
15.	श्री चंदन कुमार साव / Shri C. K. Shaw	क.अ.(हिंदी) / Jr.Tr.(Hindi)	सदस्य/Member
16.	श्रीमती इंदिरा चटर्जी / Smt. Indira Chaterjee	त.स. / T.A.	सदस्य/Member